Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर डिस्कॉम धौलपुर का अधीक्षण अभियन्ता व टेक्नीशियन–प्रथम 1,75,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, 28 जनवरी 2026, बुधवार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी धौलपुर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **राजेश कुमार वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम धौलपुर** द्वारा अपने कार्यालय के **नरेन्द्र कुमार टेक्नीशियन प्रथम** से आपसी मिलीभगत कर परिवादी को उसके निलम्बन से बहाल करने की एवज में **1,75,000/–रूपये** रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि एसीबी चौकी धौलपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि श्री राजेश कुमार वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम धौलपुर द्वारा अपने मातहत श्री नरेन्द्र कुमार टेक्नीशियन–प्रथम से मिली भगत कर परिवादी से उसको निलम्बन उपरान्त बहाल करने के लिए 2,00,000/– रूपये की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिह** के सुपरविजन में एसीबी धौलपुर के **पुलिस निरीक्षक श्री जगदीश भारद्वाज** द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए परिवादी से उक्त मांग के अनुसरण में रिश्वती राशि 1,75,000/– रूपये आज परिवादी से नरेन्द्र कुमार टेक्नीशियन– प्रथम द्वारा अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय धौलपुर में बुलाकर प्राप्त करना एवं प्राप्त की गई 1,75,000/–रूपये रिश्वत राशि उसके कब्जे से बरामद होने एवं रिश्वत राशि प्राप्ती बाबत नरेन्द्र कुमार टेक्नीशियन–प्रथम द्वारा जरिये फोन अधीक्षण अभियन्ता को बताये जाने पर सहमति देने पर दोनो को गिरफ्तार किया है।

ए.सी.बी. के **महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिह** के सुपरविजन में आरोपीगण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।